बनाम

मु. नं. 29 वर्ष 12

आज्ञा-पत्र

20.8-18

उपावली फाइल राजस्व लोक अदालत उपखण्ड सीकर में केस कोर्ट सिविलिटी में केस 50) मूल वाद का निस्तारण लिया गया।

वादी पुर्वजा पत्र प्रार्थी मूल वाद का निस्तारण हो जाने के कारण स्थगित किया जाता है। पक्ष० फैसला अनुसार होकर वाद दर्ज कर दें, राशि प्रवर दें। निर्णय फाइल केस कोर्ट में मय आम से भुलाया गया।

बनवारी लाल बरवड़ (अधिवक्ता)
सदस्य राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड, सीकर

(जूही भार्गव)
प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
सीकर